

## भारत द्वारा सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान की मांग

### प्रलिस के लिये:

[वशिव व्यापार संगठन](#), [सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग](#), [न्यूनतम समर्थन मूल्य](#), [सामाजिक कल्याण कार्यक्रम](#), [कृषि पर वशिव व्यापार संगठन समझौता](#)।

### मेन्स के लिये:

सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से संबंधित लाभ एवं मुद्दे

[स्रोत: लाइव मटि](#)

### चर्चा में क्यों?

[वशिव व्यापार संगठन \(WTO\)](#) के 13वें मंत्रसितरीय सम्मेलन में, भारत द्वारा [खाद्य सुरक्षा](#) के लिये सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान करने पर बल दिया गया।

### भारत द्वारा स्पष्ट किये गए प्रमुख बडि क्या हैं?

- **WHO का दायरा व्यापक करना:** भारत ने मांग की है कि WTO अपने कार्यक्षेत्र का वसितार करे और केवल उन किसानों की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना बंद करे जो अपनी उपज का नरियात करते हैं।
  - इसके स्थान पर संगठन को [खाद्य सुरक्षा](#) एवं [आजीविका बनाए रखने](#) जैसी बुनियादी चिंताओं को संबोधित करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- **विकासशील देश की आवश्यकताएँ:** भारत का तर्क है कि विकासशील देशों के लिये उनकी जनसंख्या, (वशिकर समाज के कमज़ोर वर्गों) के लिये [खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम](#) आवश्यक हैं।
  - वर्तमान WTO नियम [सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग](#) कार्यक्रमों के संबंध में विकासशील देशों को कुछ छूट प्रदान करते हैं।
  - हालाँकि, ये प्रावधान अस्थायी हैं और भारत एक ऐसा स्थायी समाधान चाहता है जो उनकी विकास आवश्यकताओं को स्वीकार करे।
  - हाल ही में [G-33 देशों](#) ने भी प्रमुख आयात वृद्धि अथवा आकस्मिक मूल्य में कमी के वरिद्ध एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में [मैशिस सुरक्षा तंत्र \(SSM\)](#) का उपयोग करने के विकासशील देशों के अधिकार को बनाए रखा।
- **समान अवसर का आह्वान:** भारत ने अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार में, वशिस रूप से [दुनिया भर में कम आय वाले नरिधन किसानों के लिये समान अवसर सृजित करने की आवश्यकता](#) पर बल दिया। यह व्यापार प्रथाओं में नषिपक्षता एवं समानता को बढावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।
  - भारत ने देशों द्वारा अपने किसानों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता में स्पष्ट असमानताओं को इंगति किया।
    - वशिस रूप से कुछ विकसित देशों में सब्सिडी विकासशील देशों की तुलना में **200 गुना अधिक** है।
  - साथ ही [G-33 देशों](#) के सदस्य के रूप में भारत ने भी WTO से सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान खोजने का आग्रह किया।

### पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग क्या है?

- **परचिय:** पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग से तात्पर्य सरकारों द्वारा [खाद्यान्न खरीदने](#), [उसका भंडारण करने](#) और [अंततः वितरित करने की प्रथा](#) से है। कई अन्य देशों के साथ भारत अपनी जनसंख्या के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस प्रणाली का उपयोग करता है।
- **लाभ:**
  - **खाद्य सुरक्षा:** सार्वजनिक भंडार सूखे, फसल की वफिलता, या बाज़ार व्यवधान जैसे कारकों के कारण होने वाली संभावित भोजन कीकमी के वरिद्ध एक बफर सुनिश्चित करते हैं।
    - इससे जनसंख्या के लिये भोजन की उपलब्धता, खासकर आपात स्थितिके दौरान बनाए रखने में सहायता मिलती है।
  - **मूल्य स्थिरिकरण:** कम आपूर्तिके कारण कीमतें बढने पर स्टॉक जारी करके, सरकारें स्टॉक की कीमतों में उतार-चढाव को नरित्तरित कर सकती हैं और तेज़ी से होने वाली बढोतरी को नरित्तरित कर सकती हैं जो उपभोक्ताओं, वशिस रूप से नमिन आय वाले परिवारों पर बोझ डाल

सकती हैं।

- **किसानों को समर्थन:** सरकारें किसानों को कुछ आय सुरक्षा प्रदान करते हुए पूर्व निर्धारित **न्यूनतम समर्थन मूल्य** पर अनाज खरीद सकती हैं। इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिला सकता है और कृषि उत्पादन को बनाए रखा जा सकता है।
- **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम:** भंडारित भोजन का उपयोग **सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों** के लिये किया जा सकता है, जिससे कमज़ोर आबादी और खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

#### ■ कृषि:

- **राजकोषीय भार:** बड़े स्तर पर भंडारण करना सरकारों के लिये महंगा हो सकता है। भंडारण और रखरखाव की लागत सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है तथा संसाधनों को अन्य विकास प्राथमिकताओं से अलग कर सकती है।
- **बाज़ार में विकृति:** सार्वजनिक भंडार से सब्सिडी वाले खाद्यान्न की बाज़ार कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे कृषि में नज़ी कृषेत्तर का निवेश हतोत्साहित हो सकता है और संभावित रूप से समग्र उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- **खराबी और बर्बादी:** अनुचित भंडारण से खाद्यान्न खराब हो जाता है तथा उसकी बर्बादी होती है, जिससे आर्थिक हानि होती है और कार्यक्रम की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **भ्रष्टाचार के जोखिम:** सार्वजनिक भंडार का प्रबंधन भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन के प्रति संवेदनशील है, जिससे सिस्टम के भीतर अक्षमताएँ और अव्यवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दे:** सब्सिडीयुक्त भंडारण प्रथाएँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जटिलताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
  - कुछ देशों का तर्क है कि ऐसी प्रथाएँ नष्टिपक्ष बाज़ार प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं और अन्य देशों के निर्यातकों को हानि पहुँचाती हैं।
  - उदाहरण के लिये, **थाईलैंड ने हाल ही में भारत पर निर्यात बाज़ार में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिये रखे गए चावल के सार्वजनिक भंडार का उपयोग करने का आरोप लगाया।**

## कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता:

- **परिचय:** **कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता (AoA)**, व्यापार वार्ता के **उरुग्वे दौर** के दौरान स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक समूह है, जो वर्ष 1995 में लागू हुए।
  - इनका उद्देश्य कृषि उत्पादों में नष्टिपक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है:
    - **व्यापार बाधाओं को कम करना:** AoA सदस्य देशों को कृषि आयात पर टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंधों को कम करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
    - **घरेलू सहायता:** यह सब्सिडी के प्रकार और स्तर को न्यंत्रित करता है, जो सरकारें अपने घरेलू कृषि उत्पादकों को प्रदान कर सकती हैं।
    - **बाज़ार पहुँच:** AoA आयात बाधाओं को कम करके कृषि निर्यात के लिये अधिक बाज़ार पहुँच को बढ़ावा देता है।
- **कृषि सब्सिडी:** WTO के मानदंडों के अनुसार, विकासशील देशों के लिये कृषि सब्सिडी **कृषि उत्पादन के मूल्य के 10%** से अधिक नहीं होनी चाहिये। जबकि विकासशील देशों को कुछ संरक्षण प्राप्त होता है।
  - हालाँकि **दिसंबर 2013 के शांति खंड (Peace Clause)** के तहत, WTO के सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान मंच पर विकासशील देशों द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती से बचने पर सहमति व्यक्त की है।
  - चावल पर भारत की सब्सिडी कई मौकों पर निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी, जिससे उसे **'शांति खंड'** लागू करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

# WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AoA)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की एक संधि जिस पर प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के उरुग्वे दौर के दौरान बातचीत शुरू हुई; औपचारिक रूप से 1994 में मार्केस, मोरक्को में इसकी पुष्टि की गई वर्ष 1995 में यह संधि प्रभावी हुई

## विशेषताएँ

- बाज़ार पहुँच (व्यापार बाधाओं को कम करके कृषि उत्पादों के लिये बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा देना)
- घरेलू सहायता (सब्सिडी बॉक्स को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया है)
- निर्यात सब्सिडी (निर्यात सब्सिडी जो व्यापार को विकृत कर सकती है, के उपयोग को कम करना)

## सब्सिडी बॉक्स

### एम्बर बॉक्स सब्सिडी

- किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है
  - उदाहरण: खाद, बीज, विद्युत, सिंचाई जैसी निविष्टियों के लिये सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
- एम्बर बॉक्स का उपयोग घरेलू समर्थन के उन सभी उपायों के लिये किया जाता है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे उत्पादन एवं व्यापार को विकृत कर सकते हैं
  - परिणामस्वरूप, हस्ताक्षरकर्ताओं को एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आने वाले घरेलू समर्थन को कम करने के लिये प्रतिबद्ध होना आवश्यक होता है
- जो सदस्य इन प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपना एम्बर बॉक्स समर्थन अपने उत्पादन मूल्य के 5-10% के भीतर रखना चाहिये। (डि मिनिमस क्लॉज)
  - विकासशील देशों के लिये 10%
  - विकसित देशों के लिये 5%
- भारत का MSP कार्यक्रम जाँच के दायरे में है, क्योंकि यह 10% की सीमा से अधिक है

### ब्लू बॉक्स सब्सिडी

- "शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स" - विकृति को कम करने के लिये अभिकल्पित
- ऐसा कोई भी समर्थन जो आम तौर पर एम्बर बॉक्स में होता है लेकिन उसके लिये किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है तो उसे ब्लू बॉक्स में रखा जाता है
  - इस सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा आरोपित करके अथवा किसानों के लिये अपनी भूमि का एक हिस्सा खाली छोड़ना अनिवार्य करके उत्पादन को सीमित करना है
- वर्तमान में ब्लू बॉक्स सब्सिडी पर खर्च करने की कोई सीमा नहीं है

### ग्रीन बॉक्स सब्सिडी

- घरेलू समर्थन के उपाय जो व्यापार विकृति का कारण नहीं बनते हैं या कम-से-कम विकृति का कारण बनते हैं
- ये सब्सिडी फसलों पर बिना किसी मूल्य समर्थन के सरकार द्वारा विचिपोषित हैं
  - इसमें पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं
- बिना किसी सीमा के अनुमत (कुछ परिस्थितियों को छोड़कर)



## वश्व व्यापार संगठन क्या है?

- यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। वश्व व्यापार संगठन, द्वितीय वश्व युद्ध के मद्देनज़र स्थापित **प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT)** का उत्तराधिकारी है।
  - यह अपने **164 सदस्य राष्ट्रों के बीच** सहज, मुक्त और पूर्वानुमानित व्यापार को बढ़ावा देता है, जो **वैश्विक व्यापार का 98%** प्रतनिधित्व करता है।
- व्यापार वार्ता (Negotiation)** के रूप में विकसित, इसके नियमों का उद्देश्य कोटा को समाप्त करना और टैरिफ को कम करना है, वर्तमान ढाँचे को बड़े पैमाने पर वर्ष 1986-94 के उरुग्वे दौर की वार्ता द्वारा आकार दिया गया है।
  - WTO का मुख्यालय **स्वटिज़रलैंड के जनिवा** में स्थित है।

## दृष्टि भेन्स प्रश्न:

वैश्विक व्यापार और खाद्य सुरक्षा पर कृषि सब्सिडी के प्रभाव पर चर्चा कीजिये, घरेलू कृषि को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका बनाम बाज़ारों को विकृत करने और व्यापार असंतुलन पैदा करने की उनकी क्षमता पर भी विचार कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न . भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को कसिके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमिति किया? (2018)

- (a) अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (d)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लॉज़' शब्द प्रायः समाचारों में कसिके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- (a) खाद्य और कृषि संगठन
- (b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
- (c) विश्व व्यापार संगठन
- (d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

प्रश्न 3. नमिनलखिति में से कसिके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'ऐम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मलिते हैं? (2016)

- (a) WTO मामला
- (b) SAARC मामला
- (c) UNFCCC मामला
- (d) FTA पर भारत-यूरोपीय संघ वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न 4. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन कयि है ।
2. TFA, WTO के बाली मंत्रसितरीय पैकेज 2013 का एक भाग है ।
3. TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ ।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 5. 'व्यापार-संबंधति नविश उपायों' (TRIMS) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2020)

1. वदिशी नविशकों द्वारा कयि जाने वाले आयात पर 'परमिणात्मक नरिबधन' प्रतबिंध नषिदिध होते हैं ।
2. ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधति नविश उपायों पर लागू होते हैं ।
3. ये वदिशी नविश के नयिमन से संबंधति ही हैं ।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न . WTO एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए नरिणय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। WTO का क्या अधदिश (मैंडेड) है और उसके नरिणय कसि प्रकार बंधनकारी है? खादय सुरक्षा पर वचिर-वमिरश के पछिले चकर पर भारत के दृढ-मत का समालोचनापूर्वक वश्लेषण कीजयि। (2014)

प्रश्न . "WTO के अधकि व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नतकिरना है। परंतु (संधी) वार्ताओं की दोहा परधिभृत्तोंमुखी प्रतीत होती है जसिका कारण वकिसति और वकिसशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय परपिरेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजयि। (2016)

प्रश्न . यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परदृश्य में वशिव व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़दि बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्तर हैं, वशेष रूप से भारत के हति को ध्यान में रखते हुए? (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-calls-for-permanent-solution-for-public-stockholding>

